पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्य परिषद् की 57 वीं बैठक
दिनांक 08/12/2016, दिन गुरूवार
समय : 12:00 बजे पूर्वान्ह
स्थान – मुख्यालय, बिलासपुर

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 57 वीं बैठक का कार्यवाही–विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की कार्य परिषद् की 57 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 08/12/2016, दिन गुरूवार पूर्वान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. देबाल कुमार सिंहरॉय** – सदस्य
   आचार्य
   समाजशास्त्र अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा मनोनीत)

3. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **डॉ. बी.एल. गोयल** – सदस्य
   अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा कार्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मनोनीत)

5. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** – सदस्य
   सहायक प्राध्यापक,
   शिक्षा विभाग
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर
   (कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

6. **डॉ. राजकुमार सचदेव** – सचिव
   कुलसचिव
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **उपाध्यक्ष** – सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

2. **उपाध्यक्ष** – सदस्य
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** – सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

4. **श्री एस. एल. नायक** – सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **डॉ. एस. के. जाधव** – सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

6. **डॉ. एस. आर. पटेल** – सदस्य
अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई
जिला–दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

कार्य परिषद् की स्थगित बैठक गणपूर्ति, के अभाव में स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति जी के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 54 वीं, 55 वीं एवं 56 वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा 54 वीं, 55 वीं एवं 56 वीं (आपात) बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया तथा पालन प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव कं 2 नया रायपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के लिये भूखंड उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर एनडीआरडीए से प्राप्त पत्र दिनांक 08/11/2016 पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव को स्थगित रखते हुये निर्णय लिया गया कि संभागायुक्त, रायपुर को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के लिये शासकीय/अर्द्धशासकीय भवन उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जाये।

प्रस्ताव कं 3 प्रावीण्य आधारित शुल्क वापसी नियम, 2015 में संशोधन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा संशोधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 4 छ.ग. शासन के समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) प्रदान किये जाने संबंधी वित्त निर्देश को इस विश्वविद्यालय के लिये अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा छ.ग. शासन के समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) प्रदान किये जाने संबंधी वित्त निर्देश क्रमांक 11/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में विश्वविद्यालय को स्वीकृत सेटअप के अनुसार परिशिष्ट–2 तैयार कर प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव कं 5 अध्यादेश क्रमांक 38 (मेघावी विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक) में संशोधन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा अध्यादेश क्रमांक 38 की कंडिका 4 में निम्न संशोधन सहित अनुमोदन किया गया –

"विश्वविद्यालय का यह पदक स्नातक एवं स्नातकोत्तर की कक्षाओं के उन छात्रों को प्रदान किया जायेगा जिन्होनें तीन वर्षीय स्नातक अथवा दो वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही इसी विश्वविद्यालय से सर्वाधिक ग्रेड प्वाइंट (**CGPA/GPA**) या प्रथम श्रेणी में इसी विश्वविद्यालय से सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा। (जिस परीक्षा में ग्रेडिंग लागू हो वहां **CGPA/GPA**

तथा जहाँ ग्रेडिंग लागू नहीं है वहां प्राप्तांक को मेरिट बनाने में आधार लिया जायेगा)।

स्वर्ण पदक/मेरिट प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर की कक्षाओं के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जायेगा। मेरिट लिस्ट में प्रथम दस स्थान प्राप्त उन मेघावी छात्रों का नाम होगा जो इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है तथा प्रथम प्रयास में, बिना किसी गैप के प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत अंक या अधिक) या 6.5935 या अधिक **CGPA/GPA** अर्जित किये हों।''

प्रस्ताव कं 6 विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा विद्या परिषद् की 21 वीं बैठक दिनांक 07/12/2016 की कार्यवाही विवरण के द्वितीय प्रस्ताव पर निम्न संशोधन सहित शेष प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया –

1. अध्यादेश क्रमांक 02 की कंडिका 4 (B)(ii) ''Candidate possessing M.Phil. Degree from any recognized university/ institution as per UGC regulation 2009/ 2016 किया जाये।''
2. अध्यादेश क्रमांक 02 की कंडिका 14 ''**The candidate shall submit five both side printed hard/paper bound copies of his/her thesis along with the following** किया जाय।''

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन एवं भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/12/2016 के कार्यवाही विवरण पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा भवन निर्माण समिति की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुये लोक निर्माण विभाग को निर्माण हेतु कार्यादेश दिया जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव –</u>

प्रस्ताव कं 8 छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर के देयकों रू. 20,49,444/– के भुगतान स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति आभार प्रगट करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(राजकुमार सचदेव)	(बंश गोपाल सिंह) 09.12.16
कुलसचिव/सचिव	कुलपति/अध्यक्ष